फर्द अहकाम
(नियम 26)

अज अदालत .... मुकाम...
....बनाम..........................किस्म मुकद्दमा .....
......................नं.............../...........................सन.............................

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
25/3/25	प्रार्थी की ओर से वकील श्री दिलीप कुमार खटीक ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल आर एक्ट के तहत प्रस्तुत किया । बाद जांच दर्ज रजिस्टर किया गया । विपक्षी को प्रार्थना पत्र की नकल सूचना पत्र के साथ भेजी जावे पत्रावली देखने तामीली रिपोर्ट एवं जवाब दिनांक 16/5/25 को पेश हो । उपखण्ड अधिकारी डूंगला	✓
16/5/25	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित । विपक्षी अभिधारी तहसीलदार डूंगला से जवाब प्राप्त हुआ जिसको शामिल पत्रावली किया गया प्राप्त रिपोर्ट के सम्बन्ध मे वकील प्रार्थी को सुना गया वकील प्रार्थी रिपोर्ट प्राप्त हुई उसके अनुसार संशोधन हेतु सहमत है। पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली मे साक्ष्य प्रार्थी ली जाता है। अत: पत्रावली वास्ते साक्ष्य प्रार्थी मे दिनांक 13/5/25 को पेश हो ।	
13/5/25	पत्रावली पेश हुई [illegible] उपस्थित । वकील प्रार्थी ने साक्ष्य [illegible] रामदयाल गवाह नानूराम, [illegible] पेश हुए जिसको शामिल पत्रावली किये गये । पत्रावली वास्ते आदेश दिनांक 14.5.25 को पेश हो।	

Signature Not Verified
Digitally signed by Ishwar Lal Khatik
Date: 2025.08.11 12:59:29 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

14/5/25	प्रार्थना पत्र की पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल. आर. एक्ट का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार से है :- प्रार्थी श्री रामदयाल पुत्र किशोर मेघवाल निवासी मालकाखेड़ी ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू. राजस्व अधिनियम 1956 के तहत प्रस्तुत कर ग्राम नौगावा पटवार मण्डल नौगावा के खाता संख्या 32 में वर्णित नाना पुत्र किशोर के बजाय रामदयाल पुत्र किशोर दर्ज करवाने हेतु प्रस्तुत किया गया जिसकी बाद जांच दर्ज कर विपक्षी भूमिधारी तहसीलदार डूंगला से जवाब प्राप्त किया गया। तहसीलदार डूंगला ने अपने पत्र राजस्व/2025/254 दिनांक 15.4.2025 के द्वारा प्रार्थना पत्र के सम्बन्ध में रिपोर्ट प्रस्तुत कर अवगत कराया गया कि मौजा नौगावा के खाता संख्या 32 में वर्णित नाबालिग नाना पुत्र किशोर मेघवाल दर्ज किये जाने की अभिशंषा की गई है। तथा इस सम्बन्ध में वकील प्रार्थी ने भी प्रार्थी रामदयाल का एवं गवाह नानूराम व रामलाल के शपथ पत्र पेश किये गये जिस पर पहचान वकील वादी द्वारा की गई है। शपत्र पत्र शामिल पत्रावली किये गये। वकील प्रार्थी की बहस को सुना गया वकील प्रार्थी ने बहस में कथन किया गया कि नानालाल के बजाय रामदयाल राजस्व रेकार्ड में दर्ज करने हेतु उचित आदेश पारित करे। इस सम्बन्ध में प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत किये गये राजस्व रेकार्ड नकल जमाबन्दी एवं संलग्न तहसीलदार डूंगला एवं पटवारी हल्का नौगावा की रिपोर्ट एवं संलग्न प्रार्थी का मतदाता पहचान पत्र की छायाप्रतियों व आधार कार्ड की छाया प्रति का व पत्रावली का अवलोकन कर परीक्षण किया गया। बाद जांच परीक्षण उपरांत मौजा नौगावा के खाता संख्या 32 में वर्णित नाना के बजाय रामदयाल पुत्र किशोर मेघवाल शुद्ध किया जाना न्यायसंगत होकर उचित है। अत: प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल. आर. एक्ट का स्वीकार किया जाता है [illegible] मौजा नौगावा पटवार मण्डल नौगावा [illegible] खाता संख्या 32 में अंकित नाना [illegible] पुत्र किशोर दर्ज किया जाने का आदेश दिया जाता है। आदेश जारी हो। निर्णय खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया पत्रावली फैसल शुमार होकर नाम्बर से कम हो।	

[Signature] उपखण्ड अधिकारी डूंगला जिला-चित्तौड़गढ़

Signature Not Verified
Digitally signed by Ishwar Lal Khatik
Date: 2025.08.11 12:59:29 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner